



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव (भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग—4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को रखीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्विच्छिन्न सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुरक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ईफ्कोटेक प्रमोशन सोसायटी, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा कांकेर जिले के पूर्व भनप्रतापपुर वन मंडल अंतर्गत Net Project is about creating an optical fiber backbone network to boost the internet and telecome connectivity हेतु कुल वन भूमि 3.064 है. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: ०६ /०४/२०१८
स्थान: नया रायपुर

(आर. के. सिंह)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
छत्तीसगढ़, रायपुर